भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड़ रोड
कोटा – 324005 राजस्थान

F.No.I(22)-2/Adm/2018-　　　　　　　　　　Dated:- 07 .03.2018

निविदा

राजस्थान इकाई में फसल वर्ष 2017–18 के अफीम तौल कार्य के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर टेन्ट, शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किरायें पर सप्लाई करने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। तौल कार्य माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से चलने की संभावना है।

क्र. सं.	आईटम का नाम			डिवीजनों का नाम एवं तौल केन्द्रों का स्थान							
		कोटा डिवी.		झाला वाड़ डिवी.	भीलवाड़ा डिवी.	प्रतापगढ प्रथम	प्रतापगढ द्वित्तीय	चित्तौड़ प्रथम	चित्तौड़ द्वित्तीय	चित्तौड़ तृतीय	चित्तौड़ सेन्ट्रल गोदाम
		छबडा	छीपा बडोद	झाला वाड	सिंगोली श्याम	प्रतापगढ	छोटी सादडी	चित्तौड़ .	चित्तौड़	निम्बा हेडा	चित्तौड
1	टेन्ट (15x15)	70	70	60	60	50	50	80	70	110	40
2	कनात (7x6)	60	60	60	30	50	50	40	30	135	30
3	दरी (10x8)	80	80	100	140	15	15	80	100	100	40
4	कुर्सी (Moulded)	60	60	100	50	80	80	80	120	120	40
5	टेबल	25	25	50	45	50	50	50	55	55	30
6	टेबल कवर	25	25	50	45	45	45	50	55	55	30
7	त्रिपाल (10x08)	0	0	40	10	0	0	30	20	20	10
8	पर्दे (10x8)	20	20	50	30	50	50	30	80	85	10
9	पानी के ड्रम	10	10	10	15	0	0	10	20	20	5
10	कूलर	15	15	30	40	25	25	20	40	40	10
11	पेडस्टल फेन	15	15	15	30	20	20	20	50	50	10
12	पलंग प्लाईवुड	20	20	30	35	10	10	20	15	60	10
13	जरनेटर 10 केवी	2	2	2	2	02	02	02	02	02	1
14	हेलोजन लाईट	25	25	25	25	10	10	20	50	50	20
15	ट्यूब लाईट	45	45	50	70	40	40	60	60	75	30
16	सी. एफ.एल. 24 वॉट	25	25	30	50	20	20	30	25	25	10
17	बल्ब 100 वॉट/मेटल लाईट	0	0	30	20	4	4	30	25	25	10
18	तख्ता लकडी	2	2	5	4	2	2	10	15	02	0
19	बिस्तर सेट	20	20	30	60	40	40	15	15	60	10
20	स्टेबलाईजर	0	0	3	2	0	0	2	2	6	0
21	माईक सेट	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0
22	प्लास्टिक कोटेड कारपेट (मेटिंग)	20	20	6000 sq.ft	4000 sq.ft	12000 sq.ft	12000 sq.ft	8000 sq.ft	10000 sq.ft	15000 sq.ft	0
23	बेरियर (बंरीकेटीना)	—	—	—	आवश्यकता अनुसार	2000 रनिंग फिट	2000 रनिंग फिट	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनूसार	500 रनिंगफिट	0
24	स्वीच बोर्ड	0	0	0	0	30	30	10	20	20	5

नियम एवं शर्तें

1. उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी के विभिन्न तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारम्भ होने वाले केन्द्र पर पहुँचाने तथा तौल समाप्ति वाले केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वंय पाटी की होगी।
2. तौल केन्द्र अनुसार निविदा देनी होगी। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मिलित सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स अलग –2 कर बताए।
3. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रूपये 10000/– (दस हजार मात्र) नकद या ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
4. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रख रखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नही दिया जायेगा।
5. सभी सामान प्रत्येक डिविजन की आवश्यकतानुसार सही हालत में सप्लाई करना होगा। सामान की टूट फूट व खोने की जिम्मेदारी फर्म की अपनी होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नही होगा।
6. निविदादाता अपनी मोहरबन्द विविदा जिस पर **निर्दिष्ट डिविजन व तौल केन्द्र का नाम** व मद अंकित हो, इस कार्यालय में दिनांकः–15.03.2018 को 14.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। जिसे दिनांकः–15.03. 2018 को 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।
7. इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से 18.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
8. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नही होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जि. अ.अ. अन्य फर्मों से सामान मंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
9. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इस सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पेनल बोर्ड आदि शामिल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नही है।
10. **शामियाना एवं अन्य सामानों की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए**। यदि शामियाना, दरियॉ, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्वालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशी में कटौती की जाएगी।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त करे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नही किया जाएगा। सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
12. इस संदर्भ में कोई भी कानुनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
13. केवल वही फर्म निविदाएं प्रस्तुत करे जो जी.एस.टी.रजिस्टर्ड है एवं आयकर रिटर्न भरती है। पिछले वर्ष की आयकर रिटर्न तथा पेन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
14. उक्त निविदा इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से

(डॉ. सहीराम मीना)
उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़/चित्तौड़गढ़ I/II/III/भीलवाड़ा/प्रतापगढ I/II को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्यपालक)
कोटा राजस्थान